न्यायालय सत्र न्यायाधीश, सहारनपुर ।
पीठासीन अधिकारी–सतेन्द्र कुमार, उच्चतर न्यायिक सेवा।

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 1842 सन 2026

CNR No. UPSP 010048502026

1. मौहम्मद जैनुल आबीदीन पुत्र जावेद।
2. इरशाद पुत्र जरीफ अहमद।
निवासीगण–बुढडाखेडा, थाना चिलकाना, जिला सहारनपुर।

.....प्रार्थी/अभियुक्तगण।

बनाम

उ0प्र0 राज्य। **.....विपक्षी।**

मु.अ.सं. 208/2025
धारा 318(4),316(2),115(2),351(3),352 बी0एन0एस0
थाना कोतवाली देहात, जिला–सहारनपुर।

निस्तारण अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र

11.06.2026

प्रार्थी/अभियुक्तगण **मौहम्मद जैनुल आबीदीन एवं इरशाद** की तरफ से यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र उपरोक्त वर्णित अभियोग में जमानत पर रिहा किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। जमानत प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थी/अभियुक्तगण के द्वारा स्वयं का शपथ पत्र दाखिल किया गया है।

जमानत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) को सुना। पत्रावली का अवलोकन किया।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी हसीन अहमद द्वारा अवर न्यायालय के समक्ष प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा–173(4) बी0एन0एस0एस0एस0 इस आशय काप्रस्तुत किया कि वह जमीन की खरीद फरोख्त करने का काम करता है। विपक्षीगण धोखेबाज किस्म के व्यक्ति है। विपक्षीगण इरशाद, जावेद व राशिद आपस में भाई हैं, और विपक्षी मौ0 जैनुल विपक्षी डॉ0 जावेद का बेटा है। विपक्षी इरशाद ने बुडढाखेडा में स्थित अपनी जमीन को बेचने का सौदा वादी वादी के भाई खुरशीद के साथ किया था। वादी की उक्त जमीन गांव बडाखेडा के खसरा नंबर 9 में वाके है। वादी व उसके भाई के द्वारा 9 बीघा जमीन खरीदने का सौदा अंकन 24,50,000/– रूपये प्रति बीघा के हिसाब से कर लिया तथा जमीन बेचने की बाबत एक रसीद भी लिखी गयी थी। उक्त रसीद पर वादी व वादी के भाई के अलावा विपक्षीगण राशिद व जावेद के भी हस्ताक्षर है तथा पैसा देते समय गवाह बिलाल के भी हस्ताक्षर है। वादी के द्वारा दिनांक 19.08.2023 को अंकन 1,00,000/–रूपये तथा दिनाक 24.08.2023 को 2,00,000/– रूपये नकद तथा दिनांक 31.08.2023 को एक चैक संख्या 00817112386 विपक्षी जैनुल आबीदीन को वादी के भाई खुरशीद ने अपने नाम से दिया तथा दिनांक 05.09.2023 को अंकन 2,00,000/–रूपये नकद दिये। इस प्रकार विपक्षीगण ने अकन 5,00,000/– रूपये नकद व अंकन 5,00,000/–रूपये द्वारा प्राप्त कर लिए। विपक्षी जैनुल आबीदीन ने पांच लाख रूपये की रकम उक्त चेक को भुगतान कराकर दिनांक 14.09.2023 को प्राप्त कर लिये है। वादी के द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से विपक्षीगण को एक रजिस्टर्ड नोटिस दिनांकित 20.01.2025 को भी प्रेषित किया था जिसका जवाब विपक्षीगण ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से झूठे तथ्यों के आधार पर दिलवाया। विपक्षीगण ने वादी व उसके भाई से यह वायदा किया था कि हम उक्त भूमिका बैनामा आपके नाम जल्दी ही कर देगें रसीद में लिखी शर्तो के अनुसार वादी ने विपक्षीगण से सम्पर्क किया तो विपक्षीगण बहाने बनाकर टालते रहे। दिनांक 09.02.2025 को वादी व वादी का भाई खुरशीद तथा पिता अब्दुल हमीद विपक्षीगण की दुकान स्थित नया चिलकाना बसअड्डा पहुंचे, और वहां पर मौजूद विपक्षीगण जैनुल आबीदीन, इरशाद, डा0 जावेद, व राशिद आदि अपने उक्त नाम जमीन का बैनामा करने कहा तो विपक्षीगण ने उसके साथ गाली गलौच करते हुए, जान से मारने की धमकी दी। वे अपनी जान बचाकर वहां से वापस आ गये और उक्त घटना के सम्बन्ध में दिनांक 10.02.2025 को एक प्रार्थना पत्र वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर को दिया था उस पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई, उसके बाद दिनांक 27.02.2025 को एक प्रार्थना पत्र वरिष्ठ पुलिस

अधीक्षक महोदय सहारनपुर को दिया परन्तु उस पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। कई बार विपक्षीगण के साथ पंचायत भी हुई लेकिन विपक्षीगण ने न तो वादी के दस लाख रूपये वापस लौटाये न ही जमीन का बैनामा कराया। दिनांक 05.05.25 को समय 11.30 बजे दिन वादी, विपक्षीगण की दुकान पर गया जहां पर विपक्षीगण मौजूद मिले वादी ने विपक्षीगण से अपने दस लाख रूपये वापस या जमीन का बैनामा करने कहा तो विपक्षीगण ने वादी के साथ गाली गलौच करते हुए, वादी के साथ थप्पड मुक्को व लात घुसों से मार पीट करना शुरू कर दिया तथा जान से मारने की धमकी दी। वादी बाद थाने पर भी गया था थाने वालो ने कहा था कि जांच कर कार्यवाही करेगें। उसने समस्त वाकात का प्रार्थनापत्र श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय सहारनपुर को बजरिये रजिस्टर्ड डाक प्रेषित किया परन्तुउस पर कोई कार्यवाही नही हुई है इसलिए प्रार्थी यह प्रार्थना पत्र श्रीमान जी के न्यायालय में प्रस्तुत कर रहा है।

आवेदक/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्को को सुना गया।

आवेदक/अभियुक्तगण की ओर से मुख्य रूप से यह बहस की गयी कि उन्हें इस मामले में झूठा फंसाया गया है। प्रार्थीगण ने किसी प्रकार का कोई अपराध कारित नहीं किया है। प्रार्थीगण के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं का कोई अपराध नहीं बनता है। प्रथम सूचना रिपोर्ट करीब 2 वर्ष बाद कानूनी मशवरे से न्यायालय में वादी द्वारा दिए गए प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 173(4) बी0एन0एस0एस0एस0 दर्ज कराया गया है। प्रार्थीगण 41क दं.प्र.सं के नोटिस पर थाने से जमानत पर हैं। प्रार्थीगण व वादी के बीच जमीम को लेकर वाद विवाद था, जिसमें मौजिज व्यक्तियों द्वारा फैसला करा दिया गया है। वादी का जो पैसा था, बकाया नही रहा है। प्रार्थीगण का कोई आपराधिक इतिहास नही है। कथित घटना का कोई स्वतन्त्र साक्षी नही है। उक्त मामले में आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण अग्रिम जमानत के लाभ प्रदान किए जाने का अधिकारी हैं।

राज्य की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए, अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किए जाने की याचना की गयी है।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था **सुशीला अग्रवाल बनाम् स्टेट (एन0सी0टी0 ऑफ देहली) एवं अन्य ए0आई0आर0 ऑनलाइन 2020 एस0सी0 74** में यह अभिमत व्यक्त किया है कि अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार करते समय न्यायालय द्वारा अभियुक्त की भूमिका, आरोपित अपराध की प्रकृति व गम्भीरता, आवेदक द्वारा पुनः अपराध कारित करने की सम्भावना, आरोप आवेदक को नुकसान पहुॅचाने की नीयत से लगाये जाने, अग्रिम जमानत स्वीकार करने से समाज पर पड़ने वाले प्रभाव, आवेदक द्वारा साक्षियों को तोड़ने–मोड़ने और वादी को धमकी देने की परिस्थिति आदि तथ्यों पर विचार करना चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिमत भी व्यक्त किया है कि आरोप पत्र दाखिल होने के बाद भी अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पोषणीय है।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **अमनप्रीत सिंह बनाम् सी0बी0आई0 2021 एस0सी0सी0 ऑनलाइन एस0सी0 941** के मामले में यह अभिमत व्यक्त किया गया है कि यदि अभियुक्त को दौरान विवेचना गिरफ्तार नहीं किया गया है तो ऐसी दशा में उसे जमानत पर निर्मुक्त करना उचित है।

थाने से प्राप्त आख्या एवं केस डायरी का अवलोकन किया गया। आवेदक/अभियुक्तगण के विरूद्ध सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर धोखाधड़ी व बेईमानीपूर्वक नाजायज लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से वादी मुकदमा व उसके भाई के साथ 9 बीघा जमीन का सौदा करने के बाबत रसीद लिखने जिस पर अभियुक्तगण द्वारा बतौर गवाह हस्ताक्षर करने मु0 5,00,000/–रूपये नकद व 5,00,000/–रूपये द्वारा चेक प्राप्त करने के पश्चात उनके हक में बैनामा करने का आश्वासन देने के बाद भी जमीन का बैनामा न करके कुल 10,00,000/–रूपये प्राप्त कर हड़पने, वादी मुकदमा व उसके भाई के साथ गाली गलोच करने व जान से मारने की धमकी देने का आक्षेप है। आवेदक/अभियुक्तगण प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित है। पत्रावली के अवलोकन से दौरान विवेचना आवेदक/अभियुक्तगण को धारा 35(3) बी0एन0एस0एस0 के प्राविधानों के अनुपालन में बिना गिरफ्तार किए आरोप पत्र प्रेषित किया जाना दर्शित है। आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र दाखिल किए जाने पर उक्त आरोप पत्र पर दिनांक 13.03.2026 को प्रसंज्ञान लेकर अभियुक्त के विरूद्ध समन निर्गत किए जाने पर अभियुक्त की ओर से यह अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा **श्रीमती बच्ची देवी बनाम् उ0 प्र0 राज्य प्रार्थनापत्र अर्न्तगत**

धारा 528 बी0एन0एस0एस0 नम्बर 6400 सन 2025 मे पारित आदेशानुसार दौरान विवेचना अभियुक्तगण को गिरफतार न किए जाने की स्थिति में अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र का निस्तारण निर्णय विधि सतेन्द्र कुमार अंतिल में प्रतिपादित सिद्धांतो में किया जाने हेतु निर्देशित किया गया है। अभियोजन की ओर से आवेदक/अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अतः मामले के तथ्यों, परिस्थितियों एवं उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा व्यक्त किये गये अभिमत को दृष्टिगत रखते हुये गुणदोष पर बिना कोई अभिमत प्रकट किये आवेदक/अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य हैं।

आदेश

आवेदक/अभियुक्तगण **मौहम्मद जैनुल आबीदीन एवं इरशाद** की ओर प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्तगण को उपरोक्त वर्णित अभियोग में मु0 25,000/–रूपये का व्यक्तिगत बन्ध पत्र एवं समान धनराशि का एक प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप **अन्दर 15 दिन** दाखिल करने पर निम्न शर्तो के अधीन अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करने पर मुकदमे के अंतिम निस्तारण तक अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाये :–

1. अभियुक्तगण, मामले की सुनवाई हेतु नियत तिथियों पर स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होगे।
2. अभियुक्तगण, आरोप विरचन के समय, साक्ष्य हेतु नियत तिथि पर साक्षीगण के उपस्थित रहने पर व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित रहेगा तथा स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करेंगे।
3. अभियुक्तगण प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः किसी भी प्रकार का दबाव, धमकी, प्रलोभन किसी भी ऐसे व्यक्ति से नहीं करेंगे, जो केस के तथ्यों के सम्बन्ध में जानकारी रखता हो।
4. अभियुक्तगण, धारा 313 दं.प्र.सं के अन्तर्गत कथन लेखबद्ध किये जाने हेतु नियत तिथि पर व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित रहेगा।
5. अभियुक्तगण विचारण में पूर्ण सहयोग करेगा।
6. अभियुक्तगण, आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त नहीं रहेगा।
7. अभियुक्तगण, न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना देश नहीं छोडेगा।

उपरोक्त शर्तो के भंग होने पर न्यायालय द्वारा उसके विरूद्ध विधि सम्मत आदेश पारित किया जाये।

इस आदेश की एक प्रति सम्बन्धित न्यायालय को प्रेषित की जाये।

दिनांक 11.06.2026

(सतेन्द्र कुमार)
सत्र न्यायाधीश, सहारनपुर।
I.D. UP-1891